उत्तर प्रदेश [* * *] वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 45, 1976)

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES [* * *] ACT, 1976

(U.P. Act No. 45 of 1976)

उत्तर प्रदेश [1][* * *] वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976[2]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1976]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1998

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 2011

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और उ0 प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में [1][* * *] वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–[3][(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।**]**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा

2– (1) यह अधिनियम–

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर,

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो;

[4][(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर।]

परिभाषाएं

3– (1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(एक) ''रिक्त क्षेत्र'' का तात्पर्य पैमाइस में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू–खण्ड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों ;

(दो) ''भूमि संरक्षण अधिकारी'' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिए दिया गया है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1998 की धारा 2 द्वारा हटाया गया।
2. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1998 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1998 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(तीन) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्त्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(चार) ''प्रभागीय वन अधिकारी'' का तात्पर्य किसी वन प्रभाग के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है ;

(पांच) सजातीय पद सहित ''वृक्ष के निपातन'' का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छांटने, ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुँचाने से है ;

(छः) ''राजकीय उद्यान'' का तात्पर्य फल–फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू–खण्ड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है ;

(सात) ''पर्वतीय क्षेत्र'' का तात्पर्य जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टेहरी–गढ़वाल और उत्तरकाशी तथा जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मंसूरी नगरपालिका क्षेत्र से है, परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है ;

(आठ) ''खाता'' और ''खातेदार'' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उसके लिए दिया गया है ;

(नौ) ''सार्वजनिक भू–गृहादि'' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिये दिया गया है ;

(दस) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(ग्यारह) ''वृक्ष'' का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्‌भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय या व्यास धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊँचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊँचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है, और क्रमशः पद ''इमारती लकड़ी वाले वृक्ष'' और ''फलवाले वृक्ष'' का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार कर सकती है ;

(बारह) ''नागर क्षेत्र'' का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगरमहापालिका, नगरपालिका वार्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित हो ;

(तेरह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, ''शब्द और पद'' के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।

वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्धन

4–इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति –

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा ;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिलकुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न किसी वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा।

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा की प्रक्रिया

[1][**5**–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र देगा और वह अधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन–पत्र दिया जाय, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, बीस दिन के भीतर आवेदन–पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार करेगा :

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो यह ऐसी अग्रतर जांच कर सकता है जैसी वह उचित समझे :

परन्तु यह और कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यिक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अप्रदूषण को हटाने के लिये या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहां यह समझा जायेगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है।]

सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन

6–धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी की अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।**]**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2001 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

वृक्षारोपण का दायित्व

7–प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गयी है, उस क्षेत्र में, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण

8–(1) जहां परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व–अधिकारी, या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमे ऐसे व्योरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो विहित की जाये।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर संबद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन

9–(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति, अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत चिन्हित रीति में वसूल कर सकता है।

धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए दण्ड

10–जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

11–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध के किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाये कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मोनानूकूलता से किया गया है या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) ''निदेशक'' का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

इमारती लकड़ी का सम्पहरण

12–(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहृत किये जाने के आदेश दे सकता है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाये।

बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति

13–(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इन्स्पेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है :

परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब–इन्सपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना अनावश्यक विलम्ब किये, और बन्ध–पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा :

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिए, बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

अभिग्रहण करने की शक्ति

14–(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष की लकड़ी के साथ–साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ी वाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इन्स्पेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिगृहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायेगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिये या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस बहाने से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास के ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति

15–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू–गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो [1][दस हजार रुपये से अधिक] न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार के लिये प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो [2][दस हजार रुपये] से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी

16–प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस–कांस्टेबिल, सहायक उद्यान–निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी मे आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे वह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके किये जाने की संभावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

शास्ति देने या अधिग्रहण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा

17–इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण, कोई दंड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय है।

अधिकारी लोक सेवक होंगे

18–इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक–सेवक समझे जायेंगे।

धनराशि के भुगतान के लिये आदेश का निष्पादन

19–कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिये कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 2011 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 2011 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्यवाहियों पर रोक

20–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

छूट

21–ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, रहते हुये राज्य सरकार, यदि लोक–हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाये, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्ष की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे

22–इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिये उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति

23–(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायेगा जैस उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

24–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकती है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1976 के नाम परिवर्तन पर संक्रमण कालीन उपबंध

[1] **[24**–(क) उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को और से किसी विधि और परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

निरसन तथा अपवाद

25–(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 26, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी मनों यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची–एक
(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)
[धारा 3 (ग्यारह) देखिए]

क्रम–संख्या	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	अखरोट	जुगलेंसरिजिया
2	अर्जुन	टर्मोनलिया अर्जुन
3	आम	मैंगीफेरा इन्डिका
4	इमली	टमारिनड्स इंडिका
5	करधई	ऐनोगाइसिस पैनडुला
6	कंजू	होल्प–टीलिया इनटेग्रिफोलिया
7	कुसुम	स्लाईचेरा त्रिजुमा
8	कैल	पइनस एक्सलसा
9	खरशू	क्यूरक्स सैमीकरपीफोलिया

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1998 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

क्रम–संख्या	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
10	खैर	एकेशिया कटेशू
11	गूटेस	ट्रीविया नूडीपलोरा
12	धाऊ / वकली	एनोगाइमस लैटीफोलिया
13	चन्दन	सन्टालम एलबम
14	चमखरिक	क्रपिनस चिमीनिया
15	चिरौंजी	वुचनैनिया लैटिफोलिया
16	चीड़	पइनस राक्सवरगाई
17	जामुन	साइजीयम क्युमिन
18	ढाक / पलास	ब्यूटिया मोनसपरमा (केवल मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा और झांसी जिलों के लिये)
19	तुनी	सिड्रेला सेरटा
20	तून	सिंड्रेला तूना
21	तेन्दू	डायसपायरेस टोमेनटोसा
22	देवदार	सीड्रस दिओदारा
23	नीम	अजेडिरेक्टा इंडिका
24	पपरी / सन्सदू / चिकड़ी	वोक्सस् सिमपैरविरेन्स
25	फलियांट	क्वेरकस ग्लाका
26	वकाइन	मेलिया एजेडरेक
27	बहेड़ा	टर्मीनलिया बैलिरिका
28	बांज	क्यूरकस इनकाना
29	महुआ	मधुका लैटिफीलिया
30	ओरिन्डा	ऐबीज पिनडरू
31	मौरू	क्यूरकस डाइलेटा
32	राय	पींसिमा मोरिण्डा
33	रियांज	क्वेरकस लेनीजीनोसा
34	शीशम	डलवर्जिया सिसू
35	सलई	बौसबेलिया सेरेटा
36	सागौन	टेक्टोना ग्रेन्डिस
37	साल	सोरिया रोबस्टा
38	सिरिस	ऐल्बिज्जिया स्पेसिज
39	सई / आसना	टर्मीनोलिया टोमेनटोसा
40	सेमल	सलमेलिया मेलाबरिका
41	हर्र	टर्मीनलिया चेबुला
42	हल्दू	ऐडीना कार्डिफोलिया

अनुसूची–दो
(फल वाले वृक्ष)
[धारा 3 (ग्यारह) देखिए]

क्रम–संख्या	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	अनार	पुनिका ग्रेन्टम
2	अमरूद	पैसीडियम गाऊवा
3	आड़ू	प्रूनस परसिको
4	आलू बुखारा	प्रूनस कम्यूनिस
5	आम	मैंगीफेरा इण्डिका
6	आंवला	एम्बिलिका आफीसेनेल
7	कटहल	अरटोंकारपस इन्टिग्रिफोलिया
8	खुबानी	प्रूनस एरमैनाइका
9	नाशपाती	प्यूरस कम्यूनिस
10	नरंगी, नींबू, माल्टा, मुसम्मी, सन्तरा	सभी तरह के सिटरस
11	लीची	नैफेलियम लिची
12	शरीफा	एनीनास्कयूमोसा
13	सेब	प्यूरस मेलस

अनुसूची–तीन
(ईंधन वाले वृक्ष)
[धारा 3 (ग्यारह) देखिए]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष।

———

उद्देश्य और कारण

पारिस्थितिक सन्तुलन रखने, वातावारण को दूषित होने से बचाने और भूमि के परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये हरित आवरण के अनुरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि राज्य में वृक्ष गिराने तथा उनके पुनः आरोपण को विनियमित किया जाये। इस विषय पर कोई व्यापक विधायन नहीं है, और वर्तमान अधिनियमिति को अर्थात् 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 6, 1949) ई0 प्रभावकारी नहीं पाया गया है। तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

———